सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

26 चैत्र, 1948 (श०)

संख्या - 148 राँची, गुरुवार, 16 अप्रैल, 2026 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

15 अप्रैल, 2026

अधिसूचना सं०-08/निकाय (अनु० एवं अपील)-01/2026 न०वि०आ०-1212 **--**विभागीय अधिसूचना संख्या-1910 दिनांक-28.07.2020 से गठित झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2020 की कंडिका-4.7 के प्रावधानो के अंतर्गत झारखण्ड राज्य के समस्त नगर निकाय से संबंधित जनप्रतिनिधियो के विरूद्ध गठित आरोप एवं उनसे प्राप्त बचाव बयान की सुनवाई हेतु विभाग स्तर पर दो सदस्यीय जाँच समिति का गठन निम्नवत किया जाता है:-

क्र०	नाम/पदनाम	
1	श्री जुल्फिकार अली, अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची	जाँच पदाधिकारी
2	संबंधित निकाय के नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/ उप नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा मनोनीत कोई राजपत्रित पदाधिकारी	प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी

2. नामित पदाधिकारी झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2020 के प्रावधानो के अंतर्गत जाँच कार्य सम्पन्न करेंगे।

3. विभाग के संबंधित प्रशाखा के प्रशाखा पदाधिकारी/नगर प्रबंधक उक्त विभागीय समिति को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

4. अधिसूचना प्रारूप पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अतुल कुमार,

सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 148 - 50